

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 89/05 विद्युत

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रविन्द्र सिंह गौर

कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०वि०वि०कं०लि०

मौ जिला भिण्ड म०प्र०.....परिवादी

बनाम

जगदीश सिंह चौहान पुत्र वद्री सिंह चौहान निवासी

द्वारिकापुरी मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री विकास कांकर अधि०

आरोपी सहित श्री कमलेश शर्मा अधि०

// निर्णय //

(आज दिनांक 28-05-2016 को घोषित किया गया)

01. आरोपी का विचारण धारा 138 (1) ख विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है उस पर आरोप है कि आरोपीगण ने विद्युत विभाग का विद्युत कनेक्शन क्रमांक 201848 डी०एल० घरेलु प्रकाश हेतु दिया गया था पर विद्युत बिल की बकाया राशि 25986/- जमा न करने के कारण दिनांक 24-8-2005 को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया था जिसे दिनांक 9-9-2005 को चेकिंग के समय अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करना पाया गया।

02. परिवादी का परिवादपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी रविन्द्र गौर कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०वि०वि०कं०लि० गोहद के द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का परिवादपत्र पेश किया गया है कि विद्युत मण्डल के द्वारा उपभोक्ता मनोज जैन पुत्र बाबूलाल उपयोगकर्ता जगदीश सिंह चौहान निवासी मौ में विद्युत कनेक्शन क्रमांक 201848 दिया गया था। उक्त उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन पर विद्युत बिल के रूप में 25986/-रुपये की राशि बकाया थी जिस कारण बिल जमा न करने के कारण दिनांक 24-8-2005 को सूचना देकर उक्त विद्युत कनेक्शन बिच्छेदित कर दिया गया था और विद्युत का उपयोग न करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 9-9-2005 को 2 पी०एम० बजे जांच अधिकारी श्री रविन्द्र गौर कनिष्ठ यंत्री मय अपने स्टाफ अखिलेश तिवारी लाईन हेल्पर, हनुमंत सिंह वघेल लाईन हेल्पर

के साथ अभियुक्त के परिसर घर पर निरीक्षण करने पहुंचे तो उक्त बिच्छेदित कनेक्शन को अप्राधिकृत रूप से मण्डल की लाइन से जोड़कर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था तथा अभियुक्त के द्वारा 500 वाट भार विद्युत चोरी की जा रही थी। मौके पर अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करने के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पंचनामों पर साक्षी अखिलेश तिवारी, हनुमंतसिंह वघेल के पंचनामों के सत्यता के संबंध में हस्ताक्षर कराये गये। उसके उपरांत आरोपी द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि जमा न करने के कारण एवं अप्राधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करने के कारण वर्तमान परिवादपत्र धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 138 (1) ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत आरोप विरचित कर अपराध की विशिष्टता तैयारकर पढ़कर सुनाये व समझाये गये आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. आरोपी का धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत आरोपी परीक्षण किया गया। आरोपी परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फंसाया जाना एवं बचाव में स्वयं आरोपी जगदीश सिंह ने अपना कथन कराया है।

05. आरोपी को विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय है कि:-

क्या दिनांक 9/9/05 को द्वारिकापुरी मौ तहसील गोहद स्थित अपने परिसर में लगे विद्युत कनेक्शन कं0 201848 के विच्छेदित होने के उपरांत भी बिल की बकाया राशि जमा किये बिना विद्युत कंपनी की एल.टी0लाईन में पुनः तार जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपयोग कर विद्युत की चोरी कारित की ?

::- निष्कर्ष के आधार:-

06. परिवादी विद्युत मण्डल की ओर से रविन्द्र सिंह गौर परि0सा01, अखिलेश तिवारी परि0सा02, के कथन कराये गये हैं।

07. परिवादी साक्षी रविन्द्र सिंह गौर परि0सा01 जिसके द्वारा वर्तमान परिवाद पत्र पेश किया है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 9-9-05 को मौ वितरण केन्द्र पर कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उपभोक्ता मनोज जैन पुत्र बाबूलाल जैन को कनेक्शन क्रमांक 201848 दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बकाया राशि 25986/-रुपये होने से कनेक्शन के उपयोगकर्ता जगदीश सिंह चौहान को सूचना देकर कनेक्शन विच्छेद किया गया था। उक्त कनेक्शन के निरीक्षण करने पर पाया गया कि जगदीश सिंह चौहान के द्वारा विच्छेदित कनेक्शन को जोड़कर बिना परमिशन के विद्युत का उपयोग किया जा रहा था। जिसका पंचनामा बनाया गया जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

इसके पूर्व दिनांक 24-8-05 को नोटिस जारी किया गया था वह नोटिस प्र0पी0 3 है। दिनांक 28-7-05 को भी नोटिस दिया गया था जो प्र0पी0 3 है जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. उपरोक्त संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी अखिलेश तिवारी परि0सा02 लाईन हेल्पर के द्वारा भी आरोपी जगदीश के द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि जमा न करने के कारण उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया था और पुनः चेकिंग करने के लिये जाने पर आरोपी के द्वारा विच्छेदित कनेक्शन को जोड़कर विद्युत की चोरी करना पाया जाना अभिकथित किया है। जिस संबंध में पंचनामा प्र0पी0 1 बनाया था। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपी के द्वारा दोनों नोटिस उसके द्वारा तामीली हेतु दिये गये थे वह नोटिस प्र0पी0 2 व 3 हैं जिनके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. बचाव में आरोपी जगदीश के द्वारा स्वयं का कथन किया है जिसमें कि उसके द्वारा बताया गया है कि कस्वा मौ में सन् 1997 में सुरेश चन्द्र जैन से एक प्लॉट खरीदा था। उक्त प्लॉट खरीदने के एक साल बाद उस पर मकान बनाया था। उसके मकान पर विद्युत का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके यहां विद्युत विभाग के कोई भी कर्मचारी नोटिस देने एवं कनेक्शन काटने नहीं गये थे क्योंकि उसका कोई कनेक्शन नहीं था। उसे कभी कोई नोटिस विद्युत विभाग के द्वारा नहीं दिया गया। इस संबंध में बिक्रयपत्र प्र0डी01 जिसकी प्रति प्र0डी01 सी है उसके द्वारा पेश किया गया है।

10. वर्तमान प्रकरण जो कि आरोपी के द्वारा उपयोगकर्ता के रूप में विद्युत कनेक्शन का उपयोग करने से म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कम्पनी को हुए नुकसान के संबंध में पेश किया गया है, जो कि उक्त मकान में लगा हुआ कनेक्शन मनोज जैन पुत्र बाबूलाल जैन के नाम पर होना बताया गया है। सर्वप्रथम उक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग वर्तमान आवेदक के द्वारा करने के संबंध में परिवादी रविन्द्रसिंह के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि मनोज जैन ने उक्त कनेक्शन किस मकान पर लिया था इसके संबंध में उसके पास दस्तावेज मौजूद है, लेकिन प्रकरण में पेश नहीं किया है और इस आशय का भी कोई प्रमाण पेश नहीं किया है कि मनोज जैन के नाम से जिस मकान में कनेक्शन था उसी में जगदीश रह रहा है और इस बात की भी जानकारी न होना बताया है कि जिस मकान में जगदीशसिंह रह रहा है वह उसने सन् 1997 में सुरेशचन्द्र से खरीदा है।

11. उक्त मकान से संबंधित प्लॉट बचाव पक्ष के द्वारा सुरेशचन्द्र जैन से खरीदने के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रति पेश की गई है जिसे कि सुरेशचन्द्र से मकान खरीदने का उल्लेख है। इस संबंध में परिवादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि उक्त सुरेशचन्द्र तथा मनोज जैन दोनों ही बाबूलाल के पुत्र हैं और पुत्र होकर सगे भाई हैं। यदि सुरेशचन्द्र से

बिक्रयपत्र लिखा लिया गया है तो भी उक्त मकान में जो कनेक्शन लगा हुआ है वह मनोज जैन के नाम पर है। ऐसी दशा में उक्त स्थल का उपयोग वर्तमान में आरोपी के द्वारा ही किया जा रहा है यह तथ्य प्रमाणित होता है।

12. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि उक्त स्थल पर वर्तमान में आरोपी रह रहा है तब भी परिवादी को यह प्रमाणित करना होगा कि उक्त स्थल पर बकाया राशि होने के संबंध में धारा 56 विद्युत अधिनियम के अनुसार की तामीली सुनिश्चित की गई है और विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने की सूचना की तामीली सुनिश्चित की गई।

13. उपरोक्त संबंध में विद्युत कम्पनी के कनिष्ठयंत्री रविन्द्रसिंह गौर के द्वारा दिनांक 28.07.2005 का नोटिस प्र.पी. 3 दिया जाना तथा दिनांक 24.08.2005 का नोटिस प्र.पी. 2 आवेदक/ आरोपी को दिया जाना बताया है और इसके पश्चात् दिनांक 09.09.05 को निरीक्षण में आरोपी के द्वारा विच्छेदित कनेक्शन का उपयोग बिना परमीशन के किए जाना पाया था। नोटिस की तामीली के संबंध में अभिलेख तिवारी आ0सा0 2 लाइन हेल्पर ने प्र.पी. 2 व 3 के नोटिस की तामीली उसे दिए जाने बावत् और उन पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है, किन्तु उक्त साक्षी के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त नोटिस की तामीली किस प्रकार से कराई गई। साक्षी के मात्र यह कथन से कि उन्होंने प्र.पी. 2 व 3 के नोटिस आरोपी को तामील कराए है, जबकि इस संबंध में उक्त दोनों दस्तावेजों में लेने से इन्कार करने के संबंध में टीप अंकित है, जिस बात को साक्षी ने कहीं भी अपने कथन में नहीं बताया है। ऐसी दशा में वास्तव में आरोपी को नोटिस प्र.पी. 2 व 3 की तामीली विधिवत रूप से कराई गई है ऐसा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में उक्त कार्यवाही के समय किसी भी स्वतंत्र साक्षी को भी साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही उसके कथन कराए गए हैं।

14. जहाँ तक मौके पर पंचनामा बनाए जाने की कार्यवाही का प्रश्न है इस बिन्दु पर परिवारी रविन्द्रसिंह गौर के द्वारा प्र.पी. 1 का पंचनामा बनाया जाना अभिकथित किया है, जिसमें कि उपयोगकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार किये जाने का उल्लेख आया है, किन्तु वास्तव में आरोपी मौके पर मिला था ऐसा कहीं भी पंचनामा में उल्लेख नहीं है। परिवादी के द्वारा मौके पर जप्ती की कार्यवाही न करना बताया है, किन्तु किन कारणों से मौके पर जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की गई ऐसा भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

15. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि धारा 56 के अनुसार सूचना पत्र की तामीली अथवा विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए जाने और बकाया राशि के संबंध में सूचना पत्र की विधिवत तामीली का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं है। मौके पर चैकिंग की कार्यवाही का पंचनामा बनाया जाना भी युक्तियुक्त रूप से साक्षियों के कथनों के आधार पर प्रमाणित नहीं है। इस

परिप्रेक्ष्य में मात्र उपयोगकर्ता वर्तमान आरोपी को होना दर्शाते हुए जो कार्यवाही की गई है वह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है।

16. तदनुसार परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी जगदीशसिंह को धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विधुत
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विधुत
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)